राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः-- एफ. 5(ट-29)कोष/2018--19/2054/17-57 दिनांकः- 10/4/2018

1. समस्त कोषाधिकारी
   राजस्थान।

2. भुगतान एवं लेखाधिकारी,
   बीकानेर हाऊस, पण्डारा रोड़,
   नई दिल्ली।

विषयः-- माँग संख्या 25 के अन्तर्गत बजट शीर्ष "2054-00-097-(05)-(01) खजाना स्थापना एवं बजट शीर्ष "2054-00-097-(01)-(00) में वर्ष 2018-19 के लिए विभिन्न विस्तृत मदों में बजट आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त (आय--व्ययक अनुभाग) विभाग के पत्र संख्या प.4(1)वित्त--1(1)/आ.व्यय/2018 दिनांक 28 मार्च 2018 के अनुसार राजस्थान विधानसंभा द्वारा वर्ष 2018--19 की आय व्ययक मांगों को चर्चा उपरान्त बिना परिवर्तन के स्वीकृत कर तत्संबंधी राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक 2018 को पारित कर दिया गया है। इस विधेयक पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त कर ली गई है। निम्न अंकित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करते हुए वित्तीय वर्ष 2018--19 में नियमानुसार बजट का उपयोग किया जावे। (आवंटन प्रति संलग्न)।

1. बजट शीर्ष "2054-00--097-(05)-(01) खजाना स्थापना के अन्तर्गत वर्ष 2018--19 के लिए विभिन्न उपमदों में बजट आवंटन संलग्न परिशिष्ठानुसार किया जाता हैं। राज्य सरकार एवं इस विभाग द्वारा समय--समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अन्तर्गत नियमानुसार आवंटित बजट का उपयोग किया जावें।
2. यात्रा भत्ता, चिकित्सा व्यय एवं कार्यालय व्यय पर पूर्ण नियंत्रण रखा जावें। मार्च 2018 तक के यात्रा भत्ता तथा चिकित्सा बिलों के समस्त लंबित प्रकरणों का भुगतान नियमानुसार सुनिश्चित किया जावें एवं इस कार्यालय को अविलम्ब सूचित किया जावें। चिकित्सा व्यय मद के अन्तर्गत आवंटित बजट में विशेष प्रकरणों सहित नियमानुसार व्यय किया जावें।
3. प्रत्येक माह का मासिक व्यय मानचित्र, उपमदवार अलग--अलग तैयार कर इस विभाग को मासिक लेखो के साथ यथा--समय भिजवाया जावें। व्यय मानचित्र आई.एफ.एम.एस. व राजकोष से मिलान कर ही प्रेषित किया जावें।
4. आंवटित बजट का उपयोग आनुपातिक रूप से किया जाना सुनिश्चित करें ताकि व्यय पर पूर्ण नियंत्रण रह सकें।

ए--ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in
e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in
Fax - 2742309, Tel- 0141-2743752

5. अंक मिलान के समय पाया गया है कि वाउचर्स पर संबंधित व्यय मद की मोहर पूर्णत एवं स्पष्ट अंकित नही की जाती है जिसके कारण महालेखाकार कार्यालय में सही मद में व्यय बुक नहीं हो पाता। अतः यह सुनिश्चित किया जावें कि जिस मद में राशि आहरित की जाये, बिल पर उसी उपमद की मोहर स्पष्टतः अंकित की जावें।

6. कोषाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि समस्त उपमदों में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली पर ऑनलाईन आवंटित राशि के अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में नही किया जावें। अधिक व्यय करने की स्थिति में संबंधित कोषाधिकारी व्यक्तिशः उत्तरदायी होगें।

7. मैन विद मशीन, कम्प्यूटर स्टेशनरी, कम्प्यूटर कन्जूमेबल, की–बोर्ड/बैट्री एवं कम्प्यूटर रखरखाव पर होने वाले व्ययों का का भुगतान उपमद 62 कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी रखरखाव मद से नियमानुसार किया जावें।

8. कार्यालय व्यय में आवंटित राशि से पानी, बिजली एवं टेलिफोन के बिलों का भुगतान सर्वोच्च प्राथमिकता से करें।

9. अपने अधीनस्थ कार्यालयों को किए जाने वाला बजट आवंटन एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के माध्यम से ऑनलाईन किया जावें।

10. वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी "राजकीय व्यय में मितव्ययता" परिपत्रों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाये।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ. 5(ट–29)कोष/2018–19/2054/58–59 दिनांकः– 10/4/2018

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2. उप निदेशक (आई.टी.) कार्यालय हाजा को डी.टी.ए. की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (कोष एवं बजट)

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in
e-mail Id- jdb-ta-rj@nic.in
Fax - 2742309, Tel- 0141-2743752

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज. जयपुर

बजट मद 2054–00–097–(05)–(01) खजाना स्थापना वित्तीय वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत आवंटन

(राशि सहस्त्रों में)

क्र. सं	कोषालय	01 संवेतन	03 यात्रा व्यय	04 चिकित्सा व्यय	05 कार्यालय व्यय	09 आर. आर.टी.	36 वाहन किराया	37 वर्दिया	62 कम्प्यूटराईजेशन	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1	अजमेर	50000.00	300.00	250.00	1400.00	0.00	240.00	12.00	1200.000	53402.000
2	अलवर	70000.00	400.00	250.00	1500.00	0.00	280.00	20.00	1300.000	73750.000
3	बांसवाड़ा	20000.00	200.00	50.00	1200.00	0.00	240.00	5.00	800.000	22495.000
4	बांरा	21000.00	200.00	100.00	1000.00	0.00	260.00	9.00	1000.000	23569.000
5	बाडमेर	24000.00	300.00	50.00	800.00	0.00	260.00	10.00	1200.000	26620.000
6	ब्यावर	17000.00	100.00	60.00	500.00	0.00	240.00	5.00	500.000	18405.000
7	भरतपुर	50000.00	350.00	250.00	1200.00	0.00	240.00	17.00	1500.000	53557.000
8	भीलवाड़ा	35000.00	300.00	200.00	1500.00	0.00	200.00	13.00	1200.000	38413.000
9	बीकानेर	50000.00	350.00	200.00	1200.00	0.00	240.00	14.00	1200.000	53204.000
10	बून्दी	22000.00	200.00	100.00	900.00	0.00	260.00	10.00	800.000	24270.000
11	चित्तौड़गढ़	32000.00	350.00	150.00	1500.00	0.00	280.00	15.00	1000.000	35295.000
12	चूरू	32000.00	300.00	150.00	1500.00	71.000	280.00	13.00	700.000	35014.000
13	दौसा	27000.00	200.00	70.00	1000.00	0.00	260.00	10.00	700.000	29240.000
14	धौलपुर	21000.00	200.00	150.00	1000.00	0.00	240.00	7.00	800.000	23397.000
15	डूंगरपुर	17000.00	150.00	30.00	600.00	0.00	260.00	9.00	800.000	18849.000
16	गंगानगर	42000.00	350.00	200.00	1200.00	0.00	150.00	13.00	1000.000	44913.000
17	हनुमानगढ़	28000.00	200.00	30.00	800.00	96.00	250.00	11.00	900.000	30287.000
18	जयपुर शहर	40000.00	0.00	150.00	1400.00	0.00	240.00	9.00	200.000	41999.000
19	जयपुर ग्रामीण	62000.00	600.00	250.00	2200.00	140.00	270.00	20.00	1500.000	66980.000
20	जयपुर सचिवालय	25000.00	0.00	150.00	200.00	0.00	240.00	5.00	200.000	25795.000
21	जयपुर पेंशन	20000.00	0.00	100.00	500.00	0.00	200.00	5.00	150.000	20955.000
22	जैसलमेर	15000.00	150.00	80.00	1000.00	0.00	250.00	7.00	400.000	16887.000
23	जालौर	22000.00	250.00	80.00	1000.00	0.00	240.00	11.00	900.000	24481.000
24	झालावाड़	25000.00	200.00	80.00	1100.00	0.00	240.00	10.00	800.000	27430.000
25	झुन्झुनू	36000.00	250.00	150.00	1100.00	0.00	220.00	7.00	1000.000	38727.000
26	जोधपुर ग्रामीण	40000.00	500.00	150.00	1100.00	0.00	270.00	7.00	1100.000	43127.000
27	जोधपुर शहर	19000.00	150.00	150.00	600.00	0.00	238.00	6.00	300.000	20444.000

क्र. सं	कोषालय	01 संवेतन	03 यात्रा व्यय	04 चिकित्सा व्यय	05 कार्यालय व्यय	09 आर. आर.टी.	36 वाहन किराया	37 वर्दिया	62 कम्प्यूटराईजेशन	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
28	कोटा	36000.00	300.00	150.00	1100.00	0.00	240.00	11.00	700.000	38501.000
29	करौली	24000.00	200.00	150.00	800.00	0.00	220.00	10.00	1000.000	26380.000
30	नागौर	46000.00	350.00	150.00	1100.00	0.00	240.00	13.00	1300.000	49153.000
31	पाली	34000.00	300.00	100.00	1300.00	0.00	270.00	15.00	1100.000	37085.000
32	प्रतापगढ़	14000.00	200.00	50.00	700.00	0.00	240.00	10.00	600.000	15800.000
33	राजसमन्द	21000.00	300.00	100.00	1000.00	34.00	280.00	9.00	700.000	23423.000
34	सवाई माधोपुर	33000.00	250.00	150.00	900.00	50.00	270.00	14.00	800.000	35434.000
35	सीकर	35000.00	250.00	150.00	1200.00	0.00	240.00	10.00	1100.000	37950.000
36	सिरोही	17000.00	200.00	150.00	900.00	0.00	240.00	10.00	700.000	19200.000
37	टोंक	32000.00	250.00	150.00	1200.00	0.00	240.00	9.00	900.000	34749.000
38	उदयपुर	18000.00	200.00	50.00	650.00	84.00	260.00	4.00	150.000	19398.000
39	उदयपुर (ग्रा.)	33000.00	350.00	120.00	900.00	60.00	240.00	10.00	1100.000	35780.000
40	नई दिल्ली	3500.00	50.00	20.00	150.00	0.00	0.00	0.00	250.000	3970.000
	योग	**1208500.00**	**9750.00**	**5120.00**	**40900.00**	**535.00**	**9568.00**	**405.00**	**33550.00**	**1308328.00**

(अमिता शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक
(कोष एवं बजट)

परिशिष्ट

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राज. जयपुर

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट मद 2054-00-097-01-00-62 कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय (राज्य निधि) के अन्तर्गत आवंटन (राशि सहस्त्रों में)

क्र सं	कोषालय	राशि
1	2	3
1	अजमेर	600.00
2	अलवर	700.00
3	बांसवाड़ा	200.00
4	बांरा	500.00
5	बाडमेर	250.00
6	ब्यावर	40.00
7	भरतपुर	200.00
8	भीलवाड़ा	500.00
9	बीकानेर	400.00
10	बून्दी	350.00
11	चित्तौड़गढ़	200.00
12	चूरू	350.00
13	दौसा	150.00
14	धौलपुर	200.00
15	डूंगरपुर	180.00
16	गंगानगर	500.00
17	हनुमानगढ़	300.00
18	जयपुर शहर	0.00
19	जयपुर ग्रामीण	500.00
20	जयपुर सचिवालय	0.00
22	जैलसमेर	200.00
23	जालौर	200.00
24	झालावाड़	500.00
25	झुन्झुनू	500.00
26	जोधपुर शहर	0.00
27	जोधपुर ग्रामीण	500.00
28	कोटा	350.00
29	करौली	250.00
30	नागौर	700.00
31	पाली	300.00
32	प्रतापगढ़	150.00
33	राजसमन्द	150.00
34	सवाई माधोपुर	300.00
35	सीकर	350.00
36	सिरोही	180.00
37	टोंक	350.00
38	उदयपुर	0.00
39	उदयपुर (ग्रा.)	500.00
	योग	**11600.00**

(अमिता शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक
(कोष एवं बजट)